[To be published in the Part – (I) Section (I) of the Gazette of India]

Government of India

Ministry of Steel

Udyog Bhawan, New Delhi

Dated the 16 September, 2019

Resolution

Subject: Constitution of Steel Consumers' Council --- regarding.

No. 5(2)/2019-SD(I)-Vide Resolution No. SC-1(1)/86-III dated 31st January, 1986, the then Ministry of Steel & Mines had constituted a Steel Consumers' Council (SCC) under the chairmanship of Minister for Steel & Mines consisting of representatives of the Government, Producers and Consumers of Iron and Steel, House Builders and related industries. The SCC is re-constituted from time to time, as and when the new Hon'ble Steel Minister assumes the charge of Minister of Steel. The functions of the SCC is to assist and advice the Government in addressing the issues of small producers and fulfilment of the needs of the domestic consumers' and redressal of issues related to demand and supply of iron and steel in the country.

2. The Steel Consumers' Council, under the Chairmanship of Hon'ble Minister of Steel Shri Dharmendra Pradhan is reconstituted as under:-

(A)

(a)	Hon'ble Minister of Steel	Chairman
(b)	Hon'ble Minister of State for Steel	Vice Chairman
(c)	Secretary, Ministry of Steel	Member
(d)	Joint Secretary (In–charge Steel Development Wing, Ministry of Steel)	Member Secretary

(B)

I. One representative from different Ministries/Department not less than level of Joint Secretary:

S.No.	Name of the Ministry/Department
1	Department of Defence Production
2	Department of Heavy Industry
3	Department of Space, Indian Space Research Organization
4	Ministry of Housing and Urban Affairs
5	Ministry of Jal Shakti
6	Ministry of Railways
7	Ministry of Road Transport & Highways
8	Ministry of Rural Development
9	Ministry of Shipping
10	Ministry of Civil Aviation
11	Ministry of Coal
12	Ministry of Development of North Eastern Region (DONER)*
13	Ministry of Human Resource Development
14	Ministry of Micro, Small& Medium Enterprises
15	Ministry of Mines
16	Ministry of Petroleum and Natural Gas

17	Ministry of Power
18	Niti Aayog (Steel& Mining Domain)

(*) – If meeting is conducted in NE.

II. Representatives from each of the following Steel CPSEs:

1. Steel Authority of India Ltd. (SAIL)
2. Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (RINL)
3. National Mineral Development Corporation Ltd. (NMDC)
4. Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL)
5. Metallurgical & Engineering Consultants Limited (MECON)
6. Manganese Ore India Limited (MOIL)
7. Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC)
8. Ferro Scrap Nigam Ltd. (FSNL)
9. Bird Group of Companies (BCG)
10. Joint Plant Committee (JPC)

III. One representative from each of the following Autonomous Bodies/ Organisations/ PSUs under Central Government:

S.No.	Name of Autonomous Body/ Organization/ PSU
1	Border Roads Organization
2	Bureau of Indian Standards
3	Central Public Works Department (CPWD)
4	National Buildings Construction Corporation (NBCC) India, Ltd.
5	National Highway Authority of India (NHAI)
6	Airports Authority of India (AAI)
7	Bharat Earth Movers Limited (BEML)
8	Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
9	Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)
10	Defence Research and Development Organization (DRDO)
11	Engineers India Limited (EIL)
12	Food corporation of India (FCI)
13	Gas authority of India Limited (GAIL)
14	Heavy Engineering Corporation Limited (HECL)
15	Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)
16	Indian Oil Corporation Limited (IOCL)
17	Inland waterways Authority of India (IWAI)
18	IRCON International Limited
19	National Thermal Power Corporation Limited (NTPC)
20	Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) Limited
21	Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL)
22	Rail Vikas Nigam Limited (RVNL)
23	Research Designs and Standards Organisation (RDSO)

IV. One representative from each of the following major Producers of Iron and Steel:

S.No.	Organization
1	Essar Steel
2	Jindal Steel& Power Ltd
3	JSW Steel
4	Tata Steel
5	Jindal Stainless Limited

6	Nilanchal Ispat Nigam Limited (NINL)
7	Vedanta Limited (Electrosteel Steels Limited)

V. One representative from each of the following Industry Associations:

S.No.	Association
1	All Assam Small Scale Industries Association, Guwahati
2	All India Association of Industries(AIAI), Mumbai
3	All India Induction Furnaces Association (AIIFA)
4	All India Manufacturers' Organisation (AIMO)
5	All India Metal Forging Association, Ghaziabad
6	All India Steel Re-rollers Association
7	Association of India Mini Blast Furnaces, New Delhi
8	Automotive Component Manufactures Association of India (ACMA)
9	Builders' Association of India, Mumbai
10	Chhattisgarh Sponge Iron Manufactures Association
11	Confederation of Indian Industry (CII) (Steel & Logistics)
12	Engineering Exports Promotion Council of India
13	Federation of India Chambers of Commerce & Industry (FICCI), New Delhi
14	Indian Stainless Steel Development Association, Gurugram
15	Indian Steel Association (ISA), New Delhi
16	Iron & Steel Scarp Shipbreakers Association of India, Mumbai
17	Laghu Udyog Bharti, New Delhi
18	Merchant's Chamber of Commerce & Industry, Kolkata
19	Pellet Manufacturers Association of India, New Delhi
20	Steel Wire Manufactures Association of India, Kolkata
21	The Federation of Association of Small Industries of India, New Delhi
22	The Indian Ferro Alloy Producers' Association
23	Alloy Steel Producers' Association of India
24	Association of Consulting Civil Engineering (India), Bengaluru
25	Cold Rolled Steel Manufacturers Association of India
26	Confederation of Real Estate Developers' Association of India (CREDAI)
27	Consulting Engineers Association of India, Delhi
28	Federation of Kutch Industries Association (FOKIA)
29	Ferro Chrome Producers Association (FCPA)
30	Indian Association of Structural Engineers, Delhi
31	Indian Chamber of Commerce
32	Indian Institute of Metals, Kolkata
33	Indian Roads Congress
34	Institute for Steel Development & Growth (INSDAG)
35	Metal Containers Manufacturers' Association
36	Ship Recycling Industries Association (India)
37	Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)
38	Sponge Iron Manufacturers Association (SIMA)
39	Stainless Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association
40	The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
41	The Indian Institute of Architects, Mumbai

VI. One representative from each of the following Steel consumers:

S.No.	Consumer
1	Hi-Tech Pipes Ltd
2	Jindal Industries Pvt. Ltd
3	Jindal Pipes Ltd
4	Megha Engineering. & Infrastructure Limited
5	Shapoorji Pallonji Group
6	Skipper Ltd
7	Surya Roshni Ltd

VII. One representative from each of the following Government Indian Ports:

S.No.	Consumer
1	Chennai Port Trust
2	Cochin Port Trust
3	Kamarajar Port Limited (Erstwhile Ennore Port Limited)
4	Jawaharlal Nehru Port Trust, Maharashtra, Mumbai
5	Deendayal Port Trust, Gandhidham (Kutch)
6	Kolkata Port Trust
7	Mormugao Port Trust, Goa
8	Mumbai Port Trust
9	New Mangalore Port Trust, Mangalore
10	Paradip Port Trust
11	Port Management Board, Andaman & Nicobar Islands
12	V. O. Chidambaranar Port Trust, Tutocorin
13	Vishakhapatnam Port Trust

VIII. One representative from the local ports in the vicinity of the location where the meeting is held.

IX. One representative from each of the following Construction & Infrastructure Companies:

S.No.	Association
1	Adani Infrastructures & Developers Pvt. Limited
2	Larsen & Toubro Limited
3	Shapoorji Pallonji & Co. Pvt. Ltd

X. Experts

- **Technical Experts**
  - Mr Ashwini Kumar (Ex. CEO Rourkela Steel Plant),
  - Mr Arun Kumar Rath (Ex. CEO Bhilai Steel Plant, Durgapur Steel Plant),
  - Prof Indranil Manna (IIT Kharagpur)
  - Prof K Narsimha (IIT Bombay)
  - Dr Basu (IIMT, NML)
- **Representatives from IITs where Ministry of Steel has sponsored Chairs**
- **Economists dealing with trade related matters**
  - Mr Abhijit Das, Economist, IIFT

XI. Secretary/One representative of the following Departments of State Government, where the meeting is held:

- Steel
- Mines
- Industry
- Housing & Urban Development
- Rural Development
- Irrigation
- Power

3. The Council shall continue till its Chairman holds the office of Steel Minister. The initial tenure of the SCC will be two years from the date of this Resolution unless specifically extended or curtailed by the Central Government. The SCC shall meet as and when required.

16/9/19

(Ruchika Chaudhry Govil)
Joint Secretary
Tele: 2306 3297

To,
The Manager
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, NITI Aayog and the Comptroller and Auditor General of India and the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

(Ruchika Chaudhry Govil)
Joint Secretary
Tele: 2306 3297

To,
The Manager
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi

[भारत के राजपत्र के भाग - (I) खण्ड (I) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 16 सितंबर, 2019

संकल्प

विषय: इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन- के संबंध में।

सं. 5(2)/2019-एसडी (I)-संकल्प सं. एससी-(I) 86-III दिनांक 31.01.1986 के द्वारा इस्पात एवं खान मंत्रालय ने इस्पात और खान मंत्री की अध्यक्षता में एक इस्पात उपभोक्ता परिषद (एसएससी) का गठन किया गया था, जिसमें सरकार, लौह एवं इस्पात के उत्पादक और उपभोक्ता, आवास निर्माण और संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं। जब भी नए माननीय इस्पात मंत्री, इस्पात मंत्रालय का प्रभार ग्रहण करते हैं तो समय-समय पर इस्पात उपभोक्ता परिषद (एसएससी) का पुनर्गठन किया जाता है। इस्पात उपभोक्ता परिषद का कार्य छोटे उत्पादकों की समस्याओं को हल करने और घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा देश में लौह एवं इस्पात की मांग और आपूर्ति से संबंधित मुद्दों के समाधान में सरकार की सहायता करना और परामर्श देना है।

2. माननीय इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान की अध्यक्षता में इस्पात उपभोक्ता परिषद का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है:

(क)

(क)	माननीय इस्पात मंत्री	अध्यक्ष
(ख)	माननीय इस्पात राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
(ग)	इस्पात मंत्रालय के सचिव	सदस्य
(घ)	संयुक्त सचिव (प्रभारी इस्पात विकास विंग, इस्पात मंत्रालय)	सदस्य सचिव

(ख)

I. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का एक प्रतिनिधि जिसका स्तर संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो:

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम
1	रक्षा उत्पादन विभाग
2	भारी उद्योग विभाग
3	अंतरिक्ष विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
4	आवास और शहरी मामले मंत्रालय
5	जल शक्ति मंत्रालय
6	रेल मंत्रालय
7	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
8	ग्रामीण विकास मंत्रालय

9	नौवहन मंत्रालय
10	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
11	कोयला मंत्रालय
12	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनिअर) *
13	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
14	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
15	खान मंत्रालय
16	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
17	विद्युत मंत्रालय
18	नीति आयोग (इस्पात और खनन क्षेत्र)

(*) - यदि बैठक पूर्वोत्तर में आयोजित की जाती है।

II. निम्नलिखित इस्पात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्दमों के प्रतिनिधि:

1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल)
2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन ल)
3. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एन एम डी सी)
4. कुद्रेमुख आयरन ऑर कंपनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल)
5. मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड (मेकॉन)
6. मैंग्नीज ऑर इंडिया लिमिटेड (मायल)
7. मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम एस टी सी)
8. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)
9. बर्ड ग्रुप ऑफ़ कंपनीज (बी जी सी)
10. संयुक्त संयंत्र समिति (जे पी सी)

III. केंद्र सरकार के तहत निम्नलिखित स्वायत्त निकायों / संगठनों / सार्वजनिक उपक्रमों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:

क्र. सं.	**स्वायत्त निकाय / संगठन / पीएसयू का नाम**
1	सीमा सड़क संगठन
2	भारतीय मानक ब्यूरो
3	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)
4	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) इंडिया लिमिटेड
5	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)
6	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण(एएआई)
7	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएफएल)
8	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)
9	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)
10	रक्षा अनुसंधान एक विकास संगठन (डीआरडीओ)
11	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल)
12	भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)
13	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल)

14	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसीएल)
15	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)
16	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)
17	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई)
18	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
19	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी)
20	तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओए0लजीसी) लिमिटेड
21	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)
22	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)
23	अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ)

IV. लौह और इस्पात के निम्नलिखित प्रमुख उत्पादकों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:

क्र. सं.	संगठन
1	एस्सार स्टील
2	जिंदल स्टील एंड पावर लि.
3	जेएसडब्ल्यू स्टील
4	टाटा स्टील
5	जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड
6	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)
7	वेदांत लिमिटेड (इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड)

V. निम्नलिखित उद्योग संघों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:

क्र. सं.	संघ
1	ऑल असम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, गुवाहाटी
2	ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज (एआईएआई), मुंबई
3	ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेसेज एसोसिएशन (एआईआईएफए)
4	ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएमओ)
5	ऑल इंडिया मेटल फोर्जिंग एसोसिएशन, गाजियाबाद
6	ऑल इंडिया स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन
7	एसोसिएशन ऑफ इंडिया मिनी ब्लास्ट फर्नेसेज, नई दिल्ली
8	ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए)
9	बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई
10	छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
11	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) (इस्पात और रसद)
12	इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया
13	फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), नई दिल्ली
14	इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन, गुरुग्राम
15	इंडियन स्टील एसोसिएशन (आईएसए), नई दिल्ली
16	आयरन एंड स्टील स्क्रैप शिपब्रेकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई
17	लगु उद्योग भारती , नई दिल्ली

18	मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोलकाता
19	पेलेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
20	स्टील वायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कोलकाता
21	द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
22	दइंडियन फेरो अलॉय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन
23	एलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
24	एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियरिंग (इंडिया), बेंगलुरु
25	कोल्ड रोल्ड स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
26	कन्फेडेरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई)
27	कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दिल्ली
28	कच्छ उद्योग संघों का परिसंघ (एफओकेआईए)
29	फेरो क्रोम प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (एफसीपीए)
30	इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, दिल्ली
31	इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स
32	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल, कोलकाता
33	इंडियन रोड्स कांग्रेस
34	इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (आईएनएसडीएजी)
35	मेटल कंटेनर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
36	शिप पुनर्चक्रण उद्योग संघ (भारत)
37	सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम)
38	स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसआईएमए)
39	स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
40	द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)
41	द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, मुंबई

VI. निम्नलिखित स्टील उपभोक्ताओं में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:

क्र. सं.	उपभोक्ता
1	हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड
2	जिंदल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
3	जिंदल पाइप्स लि.
4	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
5	शापूरजी पलोनजी ग्रुप
6	स्किपर लि.
7	सूर्या रोशनी लिमिटेड

VII. निम्नलिखित सरकारी भारतीय पोर्ट में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:

क्र. सं.	उपभोक्ता
1	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट
2	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट
3	कामराजार पोर्ट लिमिटेड (पूर्ववर्ती एन्नोर पोर्ट लिमिटेड)

4	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र, मुंबई
5	दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम (कच्छ)
6	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट
7	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा
8	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
9	न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मैंगलोर
10	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट
11	पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
12	वी ओ चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन
13	विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट

VIII. उस स्थान के आसपास के सभी पोर्ट का एक प्रतिनिधि जहां बैठक आयोजित की जाती है:

IX. निम्नलिखित निर्माण और अवसंरचना कंपनियों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:

क्र. सं.	**संघ**
1	अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	लार्सन एंड टुर्बो लिमिटेड
3	शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

X. विशेषज्ञ

- **तकनीकी विशेषज्ञ**
  - श्री अश्विनी कुमार (पूर्व सीईओ राउरकेला स्टील प्लांट),
  - श्री अरुण कुमार रथ (पूर्व सीईओ भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट),
  - प्रो इंद्रनील मन्ना (आईआईटी खड़गपुर)
  - प्रो के नरसिम्हा (आईआईटी बॉम्बे)
  - डॉ. बासु (आईआईएमटी, एनएमएल)

- **आईआईटी के प्रतिनिधि जहां इस्पात मंत्रालय ने चेयर को प्रायोजित किया है**
- **व्यापार से जुड़े मामलों को देखने वाले अर्थशास्त्री**
  - श्री अभिजीत दास, अर्थशास्त्री, आईआईएफटी

XI. राज्य सरकार के निम्नलिखिति विभागों के सचिव/ एक प्रतिनिधि जहां बैठक आयोजित की जाती है:

- इस्पात
- खान
- उद्योग
- आवास एवं शहरी विकास
- ग्रामीण विकास
- विद्युत

3. यह परिषद तब तक जारी रहेगी जब तक कि अध्यक्ष इस्पात मंत्री के पद पर बने रहेंगे। इस इस्पात उपभोक्ता परिषद का आरंभिक कार्यकाल इस संकल्प की तारीख से दो वर्ष होगा जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से इसे बढ़ाया या कम न किया जाए। जब भी जरूरत होगी तब इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी।

रुचिका 16/9/19

(रुचिका चौधरी गोविल)
संयुक्त सचिव
टेलीफोन-2306 3297

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, नीति आयोग एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को संप्रेषित की जाए।

2. यह आदेश भी दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

रुचिका

(रुचिका चौधरी गोविल)
संयुक्त सचिव
दूरभाष: 2306 3297

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली